

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-जोधपुर / एफ-3(स्वै.से.नि.) / 2024 / 298 दिनांक:- 13/6/24

—: आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से एतद् द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि
1.	शीला सोनी, म0स्वा0कार्य0	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिबलसर खण्ड जालौर	12.07.1965	30.11.1989	01.08.2024

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-जोधपुर / एफ-3(स्वै.से.नि.) / 2024 / 298
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 13/6/24

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौर।
- सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
7935918



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.06.13 13:12:06 IST
Reason: Approved